राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
टेलीफैक्स :– 0141–2222403, ई–मेलः–dlbrajasthan@gmail.com वेबसाईटः–www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

No.55( ) Engg./CE/DLB/SBM 2.0/PMU/2025/ 5269-564 **Date:** 22/01/2025

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्रो के सुचारू संचालन स्वयं सहायता समूहों एवं शहरी रोजगार सहायक के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में।**

संदर्भः– **दिनांक 17.01.2025 को आयोजित बैठक में प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन सचिव द्वारा दिये गये निर्देशो की पालना के कम में ।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 17.01.2025 को प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग की अध्यक्षता में वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में प्रमुख शासन सचिव द्वारा मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्रो का सुचारू संचालन नगरीय निकाय क्षेत्र में पूर्व गठित क्रियाशील स्वयं सहायता समूहों एवं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारन्टी योजना में शहरी रोजगार सहायक के माध्यम से करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके अन्तर्गत नगरीय निकायों द्वारा क्रियाशील स्वयं सहायता समूहों एवं मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारन्टी योजना में शहरी रोजगार सहायक के श्रमिको (कुशल/अर्द्धकुशल) की सेवाये निम्नलिखित कार्यो में ली जा सकती हैः–

- **मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्रों** का संचालन में उक्त कार्मिक, केन्द्रो में नागरिकों से प्राप्त होने वाले अनुपयोगी सामान का रिकार्ड का संधारण नगरीय निकायों को सुपूर्द कर स्वच्छतम् पोर्टल पर अद्ययतन (Upload) करवाया जा सकेगा। उक्त कार्मिक मुख्यमंत्री सदभावना केन्द्रों के संबंध में प्रचार–प्रसार एवं कलेक्शन ड्राइव का आयोजन करवाया जा सकेगा। अनुपयोगी वस्त्रों से कपड़े के थैले, फाइल कवर जैसे अन्य सामग्री बनाने हेतु निकाय द्वारा समूह की महिलाओं को सिलाई मशीन के साथ अन्य सामग्री प्रदान की जा सकती है।
- **सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों** के रखरखाव हेतु उक्त कार्मिकों की सेवायें ली जा सकती है।
- **आई.ई.सी गतिविधियों का आयोजन** :– स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अन्तर्गत होम कम्पो. स्टिंग, स्त्रोत पृथक्करण (गीला एवं सूखा कचरा), समुदाय स्तर पर बैठक/समझाईश कार्यक्रम इत्यादि आई.ई.सी. गतिविधियों के आयोजनो में उक्त कार्मिकों की सेवायें ली जा सकती है।
- **मैटेरियल रिकवरी फैसेलिटी** का संचालन एवं प्रबंधन हेतु उक्त कार्मिकों की सेवायें ली जा सकती है।
- **वाहन पार्किंग का प्रबंधन**:– नगरीय निकायों क्षेत्र में संचालित वाहन पार्किंग का प्रबंधन एवं संचालन हेतु उक्त कार्मिकों की सेवायें ली जा सकती है।

Signature valid
Digitally signed by Kumar Pal Gautam
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.22 18:22:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13073845

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नगरीय निकाय क्षेत्र में पूर्व गठित स्वयं सहायता समूहो की महिलाओं को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु उपरोक्त कार्यो हेतु प्राथमिकता देते हुये पालना रिपोर्ट निदेशालय को 07 दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

(कुमार पाल गौतम)
आयुक्त एवं शासन सचिव

No.55( ) Engg./CE/DLB/SBM 2.0/PMU/2025/5565-578 **Date:** 22/01/2025

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. वरिष्ठ सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
3. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
4. निजी सहायक, मुख्य अभियंता, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सहायक, मुख्य अभियंता (SBM), स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
6. परियोजना निदेशक (NULM), स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कुमार गर्ग)
मुख्य अभियंता (SBM-U)

Signature valid

Digitally signed by Kumar Pal Gautam
Designation : Commissioner
Date: 2025.01.22 18:22:55 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 13073845

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।

Telex : 0141-2993119 Email ID : msrgy@rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2024-25/ 20737-21009 दिनांकः- 17/12/2024

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषयः– नगरीय निकायों में स्थापित "मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्रों" पर मानव संसाधन उपलब्ध करवाये जाने हेतु मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत श्रमिक नियोजन कार्य बाबत्।

प्रसंगः–निदेशालय का पत्र क्रमांक एफ55()Engg./CE/DLB/SBM/PMU/24/115538–816 दिनांक 15.12.2024 के क्रम में।

सन्दर्भः–निदेशालय के मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रकोष्ठ के पूर्व पत्रांक 30025–30250 दिनांक 06.05.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक विभागीय आदेश के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा जरूरतमंदो को पुनरूपयोग हेतु वस्तुए जैसे– कपड़े, जूते, किताबे, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रोनिक सामान आदि को नागरिकों, संस्थानों, वाणिज्यिक उद्यमों से दान लेकर निःशुल्क वितरित करने के उद्देश्य से **"मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्र योजना"** का प्रत्येक नगरीय निकाय स्तर पर क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

नगरीय निकाय के "मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्र" पर प्राप्त सामग्री का वर्गीकरण एंव इनके संचालन हेतु "मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना" के माध्यम से आवश्यकतानुसार मानव संसाधन उपलब्ध करवाया जाना है। इस हेतु मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना की **मार्गदर्शिका (Guideline)** (विभागीय पत्रांक 30025–30250 दिनांक 06.05.2022 द्वारा जारी) के **क्रमांक संख्या 6:–योजना में अनुमत कार्य के बिन्दु संख्या H: अन्य कार्य के उप–बिन्दु संख्या (V): "राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमत अन्य कार्य"** के अन्तर्गत सद्भावना केन्द्र हेतु श्रमिकों का नियोजन प्रस्तावित करते हुये कार्यों का सृजन किया जा सकता है। इस संबंध में सुनिश्चित करावें कि मार्गदर्शिका में अनुमत कार्य के बिन्दु संख्या F: सेवा संबंधित कार्य के उपबिन्दु संख्या (ii) "नगरीय निकाय कार्यालयों में Multi Task Services कार्य, रिकार्ड कीपिंग कार्य" अंतर्गत उक्त कार्य प्रस्तावित **नहीं किये जावे। (पत्रांक 14767–15006 दिनांक 26.06.2023 द्वारा अधिकतम संख्या निर्धारित)**

योजना के नियमानुसार कार्यों के तकमीना तैयार कर प्रस्ताव को जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक से अनुमोदन उपरान्त नगरीय निकाय स्तर से आवश्यक (प्रशासनिक, वित्तीय, तकनीकी) स्वीकृतियां जारी की जावे। समरूपता हेतु उक्त कार्यों का सृजन करने के लिए कार्य का नाम हिंदी में **"मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्र (कार्यस्थल/भवन/कार्यालय का नाम, वार्ड संख्या........) हेतु अकुशल श्रमिक उपलब्ध का कार्य"** तथा अंग्रेजी में "Providing Unskilled Labour for Mukhyamantri Sadbhavna Kendra (Name of Place/Building/Office at Ward No.......)" प्रस्तावित किया जावे।

अतः "मुख्यमंत्री सद्भावना केन्द्र योजना" के सफल क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार मानव संसाधन उपलब्ध करवाने संबंधी प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र तैयार कर जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY) से अनुमोदन तथा आवश्यक स्वीकृतियां जारी करवाया जाना सुनिश्चित करावें तथा इस संबंध में पालना रिपोर्ट 07 दिवस में निदेशालय को प्रेषित करावें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

(अरूण व्यास)
परियोजना निदेशक (MSRGY)

Signature valid

RajKaj Ref
12479092

Digitally signed by Arun Vyas
Designation : Chief Engineer
Date: 2024.12.17 15:38:27 IST
Reason: Approved

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2024–25/ 21010-21148 दिनांकः -17/12/2024

प्रतिलिपी :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
4. जिला परियोजना समन्वयक एवं जिला कलक्टर (MSRGY), समस्त राजस्थान।
5. मुख्य अभियंता (SBM-U), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि संभाग की नगरीय निकायों से प्रस्ताव बनाकर जिला स्तरीय नोडल नगरीय निकाय के माध्यम से जिला परियोजना समन्वयक एवं जिला कलक्टर (MSRGY) से समन्वय कर प्रस्ताव अनुमोदन करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
8. आयुक्त एवं सदस्य सचिव (MSRGY), नगर निगम/नगर परिषद, जिला नोडल नगरीय निकाय, समस्त राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले की नगरीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त कर प्रस्तावों का परीक्षण करते हुये जिला परियोजना समन्वयक एवं जिला कलक्टर (MSRGY) से समन्वय कर प्रस्ताव अनुमोदन करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
9. टीम लीडर, पीएमयू, स्वच्छ भारत मिशन 2.0 एन के बिल्डकोन प्रा.लि. जयपुर।
10. सुरक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (MSRGY)

Signature valid

RajKaj Ref
12479092

Digitally signed by Arun Vyas
Designation : Chief Engineer
Date: 2024.12.17 15:38:27 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी–3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी–स्कीम, जयपुर।
Telex : 0141-2993119 Email ID : msrgy@rajasthan.gov.in

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2024-25/20376-647 दिनांकः- 11/12/2024

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका (समस्त),
राजस्थान।

विषयः—माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2024 को विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना हेतु दिये गये निर्देशों के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29.11.2024 को विभाग की समीक्षा बैठक में प्रदत्त निर्देशानुसार **"मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हुए योजना से लाभान्वित किया जाना है"** की पालनार्थ समस्त नगरीय निकाय योजना अंतर्गत पंजीकृत परिवारों के सदस्यों को मांग अनुरूप अधिक से अधिक रोजगार दिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

श्रमिकों को प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करवाने के मुख्य उद्देश्य हेतु योजनान्तर्गत 70 प्रतिशत (न्यूनतम) व्यय श्रम मद तथा 30 प्रतिशत (अधिकतम) व्यय सामग्री मद अंतर्गत अनुमत करते हुये कुल व्यय का 6 प्रतिशत (अधिकतम) हिस्सा प्रशासनिक मद हेतु प्रावधान किया गया है। कार्यों पर कम श्रमिक लगाये जाने के कारण योजना में नियुक्त संविदा कर्मियों के मानदेय (प्रशासनिक मद) अंतर्गत भुगतान कुल व्यय राशि (श्रमिक एवं सामग्री) के निर्धारित 6 प्रतिशत सीमा से अधिक हो रहा है। यह वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102201948 दिनांक 02.05.2022 एवं आई.डी.संख्या 102300904 दिनांक 21.03.2023 तथा आई.डी. संख्या 102400150 दिनांक 01.02.2024 द्वारा प्रदत्त स्वीकृतियों तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन है। साथ ही यह योजना हेतु नियुक्त संविदाकर्मियों की असंतोषजनक कार्यशैली दर्शाता है, जिसके संबंध में **"राजस्थान सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2022"** के तहत कार्यवाही का प्रकरण उत्पन्न होता है।

अतः मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत अधिक से अधिक श्रमिकों का नियोजन कर समय पर किये गये टास्क अनुरूप भुगतान करावे तथा विभिन्न मद (श्रम, सामग्री, प्रशासनिक) में किये गये व्यय का योजनान्तर्गत जारी दिशानिर्देशानुसार **निर्धारित अनुपात सुनिश्चित** करावे।

(अरूण व्यास)
परियोजना निदेशक (MSRGY)

क्रमांकःएफ56(क)()CE/DLB/MSRGY/2024-25/ 20648-720 दिनांकः- 11/12/2024

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
4. निजी सचिव, जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक (MSRGY), समस्त राजस्थान।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. सचिव, राज्य स्तरीय चयन आयोग, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक (IT), निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
9. सुरक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक (MSRGY)

RajKaj Ref
12379114

Signature valid
Digitally signed by Arun Vyas
Designation : Chief Engineer
Date: 2024.12.11 17:22:33 IST
Reason: Approved